

राज्य बीमा योजना

जीवन बीमा क्या है ?

जीवन बीमा एक अनुबंध है जिसके अन्तर्गत बीमेदार द्वारा बीमाकर्ता को नियमित प्रीमियम देने पर बीमेदार अथवा उसके मनोनीत को किसी घटना विशेष के घटित होने पर पूर्व निश्चित धन राशि के भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है।

बीमाधन क्या है ?

बीमानुबंध में प्रविष्टि पर बीमेदार की आगामी वर्षगांठ पर आयु एवम् उसके द्वारा देय प्रीमियम के आधार पर राशि, जो कि घटना विशेष के घटित होने पर देय है, बीमाधन कहलाती है।

राज्य बीमा योजना क्या है ?

राज्यबीमा योजना राज्यकर्मियों के जीवन पर जौखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्यकर्मी तथा उसके परिजनों को आर्थिक सम्बल प्राप्त होता है।

क्या राज्य बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की योजना की तुलना में अधिक आकर्षक है ?

हाँ, इस योजना के अन्तर्गत जारी पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम की समान प्रकार की पॉलिसी की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक है। राज्य बीमा पॉलिसी की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं:—

(क) बीमेदार की मृत्यु पर बिना अतिरिक्त प्रीमियम लिये दो गुना बीमाधन दिया जाता है।

NPSEFR

- (ख) कम प्रीमियम पर तुलनात्मक रूप से अधिक बीमाधन दिया जाता है एवम्
(ग) बीमाधन पर देय बोनस की दर तुलनात्मक रूप से अधिक है।

योजना किन नियमों के अन्तर्गत लागू है ?

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के अन्तर्गत यह योजना लागू है। पूर्व में यह योजना वर्ष 1953 के नियमों के अन्तर्गत लागू थी।

योजना कब से एवम् किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों पर अनिवार्य/ऐच्छिक रूप से लागू है ?

योजना विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से लागू की गयी है—

- 01.08.1943 से तत्कालीन जयपुर रियासत के कर्मचारियों पर,
01.01.1954 से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर,
01.04.1989 से पंचायत समिति एवम् जिला परिषद् के कर्मचारियों पर,
01.04.1995 से राज्य सरकार द्वारा नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा
01.04.1998 से सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवम् राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर ऐच्छिक रूप से ।

कर्मचारी कब बीमित होता है ?

कर्मचारी के सेवा में प्रविष्ट होने के दो वर्ष (परिवीक्षा काल) पूर्ण होने के पश्चात् आने वाले मार्च से कर्मचारी बीमित होगा। इसके लिए मार्च माह के वेतन में प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है। कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होने अथवा बीमा की खण्ड-दर में

NPSEFR

परिवर्तन होने पर बढ़ी हुई दर पर प्रीमियम की कटौती भी आगामी मार्च माह के वेतन से की जाती है।

वर्तमान में प्रीमियम की कटौती दर क्या है ?

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-13(21)एफडी/रेवेन्यु 76 पीटी/ जयपुर दिनांक 31.03.2010 के अनुसार वर्तमान में प्रीमियम की कटौती दर निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मूल वेतन	मासिक प्रीमियम खण्ड दर
01	रु. 6050 से 8500 तक	330 / -
02	8501 से 11000 तक	450 / -
03	11001 से रु. 18000 तक	900 / -
04	18001 से 28000 तक	1300 / -
05	28000 से अधिक पर	2200 / -
06	अधिकतम	2500 / -

क्या स्वयम् को अधिक बीमाधन के लिए बीमित करवाया जा सकता है ?

वेतन खण्ड के लिए निर्धारित प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है। हाँ, यदि कोई बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिए निर्धारित दर पर कटौती करवाकर अधिक बीमाधन के लिए भी बीमित हो सकता है। लेकिन

NPSEFR

वेतनखण्ड 05 के अन्तर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम 2500/—
रु. प्रतिमाह तक की ही कटौती करवा सकते हैं।

क्या इस योजना के अन्तर्गत की गयी कटौतियों पर आयकर में
छूट का प्रावधान है ?

हाँ, इस योजना के अन्तर्गत जमा प्रीमियम राशि पर धारा 80ब
आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर में छूट का प्रावधान
है।

क्या राज्य सरकार पॉलिसी के अन्तर्गत देय लाभों के भुगतान की
गारण्टी देती है ?

हाँ, राज्य सरकार बीमा संविदाओं के अन्तर्गत देय लाभों के राज्य
की संचित निधि से भुगतान की गारण्टी देती है।

बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत देय लाभों का भुगतान कब कब एवम्
किन- किन परिस्थितियों में देय है ?

योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में भुगतान देय है:-

बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को

पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमेदार को

पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमेदार राज्य सेवा छोड़ने या
उसे सेवा से अलग कर दिये जाने पर उसके द्वारा अन्य किसी
विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमेदार को अध्यर्पण राशि का
भुगतान किया जाता है।

NPSEFR

प्रीमियम कटौतियों के प्रतिफल में बीमेदार को अन्ततोगत्वा क्या लाभ मिलते हैं ?

प्रीमियम के बदले बीमेदार को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमाधन मय बोनस प्राप्त होता है। परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को बीमाधन की दो गुनी राशि का भुगतान मय बोनस किया जाता है।

परिपक्वता तिथि से पूर्व राज्य सेवा से अलग हो जाने वाले बीमेदारों के प्रकरणों में उनके द्वारा अध्यर्पण भुगतान के विकल्प का चयन करने की स्थिति में, अध्यर्पण राशि (सेवा से अलग होने तक की पॉलिसी अवधि से सम्बन्धित अध्यर्पण गुणांक के आधार पर निर्धारित) का भुगतान किया जाता है।

बीमा की गणना का आधार एवम् प्रक्रिया क्या है ?

राज्य बीमा पॉलिसियों के बीमाधन की गणना हेतु योजना में बीमेदार की प्रविष्टि पर आयु हेतु गुणक निर्धारित है। बीमेदार की आगामी वर्षगांठ पर आयु से सम्बन्धित गुणांक को उसके द्वारा देय मासिक प्रीमियम से गुणा कर बीमाधन निर्धारित किया जाता है।

कालान्तर में निर्धारित प्रीमियम दर से अधिक कटौती की स्थिति उत्पन्न होने पर देय अतिरिक्त बीमाधन की गणना भी उपर्युक्तानुसार की जाती है।

विभाग द्वारा कितने प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है ?

वर्तमान में विभाग द्वारा केवल सावधि (एण्डोमेंट) पॉलिसी जारी की जाती है। पूर्व में सावधि पालिसी के अतिरिक्त आजीवन पालिसी भी जारी की जाती थी।

NPSEFR

सावधि बीमा पॉलिसी पर कितने प्रकार के बोनस देय है ?

सावधि बीमा पॉलिसी पर चार प्रकार के बोनस देय हैं:-

रिवर्शनरी बोनस:- यह बोनस प्रति वर्ष बीमा निधि के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन अवधि के अंत में प्रवृत्तमान पॉलिसियों हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित दर से दिया जाता है। वर्ष 2008-09 के लिए रिवर्शनरी बोनस की दर सावधि पॉलिसी पर 90/- प्रति हजार बीमाधन प्रति वर्ष है एवम् प्रवृत्तमान आजीवन पॉलिसी पर 112.5/- प्रति हजार बीमाधन प्रतिवर्ष है।

अंतरिम बोनस:- यह बोनस किसी वर्ष रिवर्शनरी बोनस घोषित न किये जाने की स्थिति में घोषित वर्ष के रिवर्शनरी बोनस की दर के आधार पर दिया जाता है।

अतिरिक्त बोनस:- यह बोनस पूर्व में जारी समाश्वासनो (एशयारेंसेज) पर सेवा निवृत्ति की आयु में परिवर्तन के कारण मूल्यांकक (एक्च्यूरी) द्वारा निर्धारित गुणांक की दर से दिया जाता है।

टर्मिनल बोनस:- यह बोनस बीमा पॉलिसी के पूर्ण अवधि तक जारी रहने की स्थिति में दिया जाता है। वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर इसकी दर 4/- प्रति हजार बीमाधन प्रति वर्ष है।

बोनस निर्धारण का आधार एवम् प्रक्रिया क्या है ?

बोनस निर्धारण हेतु योजना के अन्तर्गत वर्ष की प्राप्तियों, भुगतान, ब्याज प्राप्तियाँ एवम् प्रबन्धकीय व्यय के आधार पर सम्पत्तियाँ एवम् दायित्वों की बैलेन्सशीट तैयार की जाती है। बैलेन्सशीट में अधिशेष की स्थिति में मूल्यांकक कुल बीमाधन के आधार पर प्रति हजार बीमाधन के लिए बोनस दर की अनुशंसा करता है। मूल्यांकक की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार राज्य बीमा पॉलिसी पर बोनस के आदेश जारी करती है। स्वत्व राशि के निर्धारण के समय

NPSEFR

विभिन्न अवधियों के लिए घोषित बोनस दरों के अनुसार बीमाधन पर बोनस राशि की गणना की जाती है।

क्या राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है ?

निधि में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाता है। वर्तमान में इसकी दर 8.5 प्रतिशत वार्षिक है।

क्या बीमा योजना में बीमेदार को ऋण की सुविधा उपलब्ध है ?

योजना के अन्तर्गत बीमेदार द्वारा कुछ शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

क्या बीमा ऋण पर विभाग द्वारा ब्याज लिया जाता है ?

वर्तमान में बीमा ऋण पर बीमेदार से लिये जाने वाले ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत वार्षिक है। नवीन बीमा नियमों के अन्तर्गत निधि पर देय एवम् ऋण प्रकरणों में लागू ब्याज दर में समानता निधि द्वारा अर्जित ब्याज के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है।

अधिक कटौती किस आयु तक की जा सकती है ?

अधिक कटौती 55 वर्ष की आयु तक की जा सकती है।





राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक : प.13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट

जयपुर, दिनांक

13 MAR 2020

-: आदेश :-


विषय:-राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 में प्रीमियम दर के पुनरीक्षण के संबंध में।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 11 (1) (i) में संदेय प्रीमियम दर दिनांक 01.04.2020 से निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

क्र.सं.	वेतन स्लेब	मासिक प्रीमियम दर
1	22000 तक	800 /-
2	22001 से 28500	1200 /-
3	28501 से 46500	2200 /-
4	46501 से 72000	3000 /-
5	72000 से अधिक	5000 /-
6	अधिकतम	7000 /-


- 1 उक्त दरें माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के वेतन से लागू होगी।
- 2 उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप नियम 11 के उप नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन खण्ड दर से आगामी दो खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रीमियम का ऐच्छिक तौर पर विकल्प लिये जाने की स्थिति में अधिकतम कटौती 7000 /- रुपये प्रतिमाह होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


13/3/2020
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवम् प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।


13/3/2020
संयुक्त शासन सचिव

कमरा नम्बर 7307, खाद्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर 302005, दूरभाष नम्बर 0141-2385649,

ई-मेल : jsfip@rajasthan.gov.in

NPSEFR

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ 18पार्ट-1/बीमा/व्य0एवंप0/2003-04/1416-1416 दिनांक:14.03.2020

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय जयपुर ।
3. अतिरिक्त निदेशक(सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेश विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावे साथ ही आवश्यक संशोधन करावें।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय ।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय ।
6. पर्यवेक्षक बीमा (मूल्यांकन/लेखा एवं अंकेक्षण/आन्तरिक जाँच दल) अनुभाग ।
7. रक्षित पत्रावली ।

14/3/2020
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर

14.3.2020

NPSEFR

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ 18पार्ट-1/बीमा/व्य0एवंप0/2003-04/

दिनांक:

परिपत्र

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.13(21) वित्त/राजस्व/76पार्ट दिनांक 13.03.2020 के द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 11 (1)(i) में संशोधन करते हुये राज्य बीमा योजना की प्रीमियम दर दिनांक 01.04.2020 से पुनरीक्षण की गई है। जिसे अनुभाग के पत्र क्रमांक एफ18पार्ट-1/बीमा/व्य0एवंप0/2003-04/1416-1466 दिनांक 14.03.2020 को ई-मेल के द्वारा समस्त संभाग एवं जिला कार्यालयों को भिजवाया जा चुका है। विभाग के जिला कार्यालयों को निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है:-

1. जिन कर्मचारियों की मार्च देय अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती सामान्य प्रीमियम दर पर स्लैब अनुसार की जाती है उन्हें अधिक घोषणा-पत्र पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।
2. जो बीमेदार एक स्टेज या दो स्टेज अधिक बीमा प्रीमियम कटौती करवाना चाहते हैं उन्हें अधिक घोषणा पत्र अपनी स्वयं की SSO ID से ONLINE सबमिट करना आवश्यक है।
3. घोषणा पत्र (प्रथम/अधिक) की पूर्ति करते समय कर्मचारी द्वारा संक्रमित रोग, कैंसर, क्षय, अस्थमा, मधुमेह, एड्स से ग्रसित है या नहीं, का स्पष्ट अंकन किया जाना अति आवश्यक है।
4. अधिक/प्रथम जोखिम 55 वर्ष की आयु तक नियमानुसार वहन की जाये। इससे अधिक आयु होने पर नियमानुसार जोखिम वहन नहीं किया जा सकती है।
5. जिन कार्मिकों द्वारा पूर्व में मार्च 2020 से प्रथम/अधिक घोषणा पत्र पुरानी दर से ऑनलाईन कर सबमिट कर दिया है, उसे DDO के द्वारा रिजेक्ट करवाया जाये तथा अगर उसे DDO के द्वारा फारवर्ड कर दिया है तो उसे इस विभाग के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा रिजेक्ट किया जावेगा। तत्पश्चात संबंधित कार्मिक द्वारा पुनः

NPSEFR

अपनी SSO ID से मार्च 2020 से प्रथम/अधिक घोषणा पत्र नई दर से सबमिट किया जावे।

उपरोक्त निर्देश अपने स्तर पर जिले के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सूचित करावें एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

19/3/2020

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:एफ 18पार्ट-I/बीमा/व्य0एवंप0/2003-04/1498-1548 दिनांक: 19.03.2020

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय जयपुर ।
3. अतिरिक्त निदेशक(सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त आदेश विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावे।
4. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय ।
5. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त

जिला कार्यालय ।
6. सुरक्षा कर्मचारी/कार्यकर्ता
7. रक्षित पत्रावली ।

19/3/2020

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर।

NPSEFR